अध्याय - २

राष्ट्रभाषा हिन्दी का महत्व, उद्देश्य, हिन्दी अध्यापक और अध्यापन पध्दतियाँ

२.१ प्रास्ताविक

२.२ मनुष्य जीवनमें भाषाका महत्व

२.३ भाषाके विविध रूप

२.४ हिन्दी ही राष्ट्रभाषा क्यों ?

२.५ राष्ट्रभाषा का महत्व

२.६ हिन्दी शिक्षाके व्यावहारिक उद्देश्य

२.७ हिन्दी शिक्षाके मानसिक उद्देश्य

२.८ हिन्दी अध्यापक -

अ) अध्यापक की आवश्यकता

ब) भाषा शिक्षक का महत्व

क) हिन्दी अध्यापक के सामान्य गुण -

१) व्यक्तित्व
२) व्यवहार कुशलता
३) शिक्षा एवं उपाधियाँ
४) पाठ्येतर क्रियाओंमें योगदान
५) बालमनोविज्ञान का ज्ञान
६) अध्यापन अनुभव
७) अनुसन्धान प्रवृत्ती
८) समय की पाबंदी
९) आत्मविश्लेषण के लिए तैयार
१०) हर प्रकारके संकीर्णतासे मुक्त

ड) हिन्दी अध्यापक के विशिष्ट गुण -

१) हिन्दी भाषापर अधिकार
२) हिन्दी साहित्य का ज्ञान

३) भारतीय संस्कृतिका ज्ञान
४) साहित्यमें रूचि
५) सरल अभिव्यक्ति
६) शिक्षण-विधियों का ज्ञान
७) सतत प्रयत्नशीलता एवं अध्ययनशीलता
८) अपने कार्य में आस्था

२.९ हिन्दी अध्यापन पध्दतियाँ -

१) स्वाभाविक प्रणाली
२) व्याकरण-अनुवाद प्रणाली
३) सम्भाषणात्मक प्रणाली
४) डा. वेस्ट मेथड
५) गठन विधि

२.१० सारोप.

२.१ प्रस्तावना :

पहले प्रकरणमें संशोधन विषयका महत्व, मर्यादा, संशोधन पध्दति आदिका विवेचन किया है । प्रस्तुत संशोधनका विषय " मराठी माध्यमके माध्यमिक स्तरपर विद्यार्थियोंके हिन्दी उच्चारण और लेखनमें आनेवाली त्रुटियोंका चिकित्सक अभ्यास " यह होनेके कारण मनुष्य जीवनमें भाषाका महत्व, राष्ट्र-भाषाका महत्व द्वितीय भाषाके रूपमें हिन्दी पढानेके उद्देश्य, हिन्दी अध्यापक और अध्यापन पध्दतियाँ इनकी जानकारी पाना आवश्यक है । यह जानकारी प्रस्तुत शोधप्रबंधके लिए पार्श्वभूमीके रूपमें उपयुक्त होगी । इसलिए प्रस्तुत प्रकरणमें इन मुद्दोंका विवेचन किया गया है ।

२.२ मानवी जीवनमें भाषाका महत्व :

प्रस्तुत संशोधनका विषय भाषासे संबंधित होनेके कारण मानवी जीवनमें भाषाका क्या महत्व है, यह देखना अनिवार्य है ।

मानव जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें भाषाका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है । भाषा न होती तो मानव सभ्यता और संस्कृति का अस्तित्व न होता और मनुष्य पशुओंके समान जीवन व्यतीत कर रहा होता । भाषाके अभावमें हम अपने विचारों और भावोंको प्रकट नहीं कर सकेंगे, दूसरोंके विचारोंका ग्रहण नहीं कर सकेंगे । संसारके सूनेपनको भाषाने जिन्दगी प्रदान की है ।

हरएक मनुष्य व्यवहारके लिए भाषाका उपयोग करता है । प्राचीन कालमें भी भाषाका अस्तित्व था और मनुष्य समाजके साथ-साथ उसका भी विकास हुआ है । मनुष्यका सामाजिक जीवन जो इतना उन्नत हुआ है, उसकी सभ्यता का जो इतना विकास हुआ है, पशुओंसे इतना, ऊपर उठकर जो वह " मनुष्य " कहलाने योग्य हुआ है, उसके कारणोंमेंसे भाषाभी एक महत्वपूर्ण कारण है । मनुष्यके निजी जीवनमें खुराक, पानी, हवा का जो स्थान है, वही स्थान मनुष्यके

सामाजिक जीवनमें भाषाका है। भाषासे उसका इतना अभिन्न संबंध स्थापित हो चुका है कि वह उसके जीवनका, उसके अस्तित्वका एक नितान्त आवश्यक अंगशी बन चुकी है।

भाषा मानववंशकी उन्नति का एक उत्कृष्ट साधन है। भाषाके जरिए मनुष्यने अपने जीवनकी एक कमीकी पूर्ति की है। पाँच हजार वर्षों पहले लिखे हुये वेदोंके पठनसे हम उनके निर्माताओंकी अन्तरात्मा का परिचय पाते हैं। कालिदास, भवभूति, शेक्सपिअर के साथ आज भी भाषाके कारण ही सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं। इस दृष्टिसे भाषा मनुष्यकी दिव्य शक्ति है।

भाषा केवल विचारोंके आदन-प्रदान काही साधन नहीं है, बल्कि वह विचार करनेका भी माध्यम है। उसकी सहायता न लेते हुए हम किसी बातके सम्बन्धमें विचार तक नहीं कर सकते। अपने मनमें जो-जो भाव जाग उठता है, उसेभी भाषाके आधार की आवश्यकता है।

भाषा संस्कृतिके संरक्षण संवर्धनमें भी पर्याप्त मात्रामें मदद पहुँचाती है। साहित्य संस्कृतिका एक प्रधान अंग है। मानव जातिके आचार-विचार, रहन-सहन, विभिन्न विधाकलाएँ, विचार करनेकी एक विशिष्ट दिशा और उसकेद्वारा निर्मित विविध विज्ञान इन सबका समावेश संस्कृतिमें होता है। इस प्रकार संस्कृति-निर्माण, संस्कृति रक्षण और संस्कृति संवर्धन इन तीनों कार्योंके मूलमें भी भाषाका बडा हाथ होता है।

समाजकी दृष्टिसे भाषा एक और महत्वपूर्ण कार्य करती है, और वह है सामाजिक ऐक्य-भावनाके रूपमें। भावनात्मक ऐक्य का आज काफी बोलबोला है, आजके जमानेकी वह एक तीव्र माँग है। इस माँगकी पूर्तिका एक उत्कृष्ट साधन है भाषा। एकता की भावनाको निर्माण करने और उसे दृढ बनानेके कार्यमें भाषा काफी मात्रामें सहायक होती है। सारांश रूपमें भाषा भाव प्रकटीकरण, अनुभव, विचार और भावना विकास, संस्कृति-संवर्धन और ऐक्य निर्मिति भाषाके प्रमुख कार्य हैं।

२.३ भाषाके विविध रूप हैं, मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा, राष्ट्रभाषा, संस्कृति भाषा, आंतरराष्ट्रीय भाषा इ.

१) मातृभाषा -

मातृभाषा हम उसे कहते हैं, जिसमें समाजके व्यक्ति परस्पर विचार-विनिमय, दैनंदिन व्यवहार और लिखा पढी करते हैं, साहित्यिक रचना करते हैं। यही भाषा व्यक्तिके अनुभव-विकास, विचार-विकास, भावना-विकास एवं व्यक्तित्वकी सर्वांगिण उन्नतिकी आधार-शिला है। मातृभाषाका यह मूल्य और महत्व होनेके कारण ही हर एकको उसके प्रति अत्यधिक प्रेम, आदर और कृतज्ञता रहा करती है। इसीलिए शिक्षालयोमें मातृभाषाकी शिक्षा को प्रधान स्थान दिया जाता है और दिया जाना चाहिए।

२) राष्ट्रभाषा -

जिस भाषामें राष्ट्रके सभी व्यक्ति परस्पर विचारविनिमय कर सकते हैं, उसे व्यापक अर्थमें `राष्ट्रभाषा` कहा जाना चाहिए। व्यक्तिके जीवनमें जो स्थान मातृभाषा का है, वही राष्ट्रके जीवनमें `राष्ट्रभाषा` का होता है। किसीभी राष्ट्र को एकताको सुरक्षित रखनेके लिए राष्ट्रभाषाही एक प्रबल साधन है। साधारण तौरपर किसीभी राष्ट्रकी एकही राष्ट्रभाषाहुआ करती है।

३) संस्कृति भाषा -

संस्कृति भाषासे मतलब वह भाषा है कि जिसमें प्राचीन कालसे लेकर अब तक की राष्ट्रकी संस्कृति, रहन-सहन, सभ्यता आचार-विचार आदि सुरक्षित हो। भारतकी संस्कृति भाषा संस्कृत है।

४) अंतरराष्ट्रीय भाषा -

यह वह भाषा है, जिसके माध्यमसे राष्ट्र राष्ट्र के बीच विचारों का आदान-प्रदान, व्यापार-व्यवहार आदि कार्य किये जाते हैं। आजके वैज्ञानिक युगमें हरएक राष्ट्रको अपने सर्वांगिण विकास एवं स्थायित्व की रक्षा के लिए अन्य राष्ट्रोंके साथ संबंध बनाये रखना अत्यावश्यक बन गया है। आज अंग्रेजी को अंतरराष्ट्रीय भाषाके रूपमें महत्व प्राप्त हुआ है।

२.४ हिन्दी ही राष्ट्रभाषा क्यों ?

प्रस्तुत शोधप्रबंधका विषय हिन्दी होनेके कारण हिन्दीको राष्ट्रभाषा का दर्जा क्यो मिला ? यह देखना उचित होगा। भारत एक संघ-राष्ट्र है, जिसमें अनेक भाषिक राज्य सम्मिलित हैं। यद्यपि इसकी कई भाषाएँ बहुत विकसित है, तो भी हरएक भाषाका स्थान प्रधानत: वही भाषिक राज्य होगा, जिसमें वह बोली जाती है। केंद्रीय सरकार को किसी एक ही भाषा-को राजभाषा के तौरपर अपनाना होगा, और यह गौरव हिन्दी भाषाको प्रदान किया गया है। क्योंकि -

१) हिन्दी भाषा-भाषी जनता की संख्या सबसे अधिक है। भारत की कुल जनसंख्या के ३० प्रतिशत लोग हिन्दी का प्रयोग करते हैं।

२) हिन्दी सभी भारतवासी आसानी से समझ लेते हैं। हिन्दी यही भाषा सीखने के लिए अत्यंत आसान है। महात्मा गांधी हमेशा कहते - " किसी बंगाली आदमी ने अगर हिन्दी सीखनेका निश्चय किया, तो हररोज एक-दोन घण्टेके अभ्यास से वह एकाध पमहनिमें हिन्दी सीख सकेगा, लेकिन इस गतीसे दूसरी कोईभी भाषा वह नहीं सीख सकता। "

३) हिन्दी भाषा अन्य भारतीय भाषाकी तुलनामें सरल है। इसमें शब्दों का प्रयोग तर्कपूर्ण है।

४) इसकी लिपि देवनागरी है। वैज्ञानिक एवं सुबोध है। यह जैसे बोली जाती है, वैसेही लिखी जाती है।

५) समूचे भारत की सांस्कृतिक विरासत हिन्दीमें निहित है।

६) हिन्दी की साहित्यिक समृध्दि में किसी एक प्रवेश-विशेष-का नहीं बल्कि विभिन्न प्रदेशोंका महत्वपूर्ण योगदान है।

७) इसमें राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक सभी प्रकार के कार्य-व्यवहारों के संचालन की पूर्ण क्षमता है।

८) हिंदी को राष्ट्रभाषा बनानेका निर्णय लोक तंत्रात्मक सिध्दान्तों पर आधारित है। अत: इसका सम्मान होना चाहिए। और इसके विकास एवं प्रसारमें प्रत्येक भारतवासी को पूरे मनोयोग से प्रयत्नशील रहना चाहिए।

हिन्दी ही राष्ट्रभाषा क्यों ? इसके बारेमें जानकारी पानेके बाद राष्ट्रभाषाको रूपमें हिन्दीका क्या महत्व है, यह देखना प्रस्तुत शोधप्रबंधके संदर्भमें है।

२.५ राष्ट्रभाषा का महत्व :

राष्ट्रभाषाकी रक्षा करना यह देशके सीमाकी रक्षा करने वैसाही महत्वपूर्ण है। क्योंकि परकीय आक्रमणके समय राष्ट्रभाषाही देशकी रक्षा अभेद्य पर्वतके समान करती है। आयरिश कवि थॉमस डेविसके ये उद्गार बिल्कुल सच हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतमें प्रयुक्त किसी भाषाको राष्ट्रभाषा के रूपमें स्थापित करना था। बहुत विचार विमर्श के बाद १४ सितम्बर १९४९ को हिन्दीको राष्ट्रभाषाके रूपमें घोषित किया गया। इस ऐतिहासिक निर्णय के स्मरणमें हरसाल १४ सितंबर ये दिन हिंदी-दिन मनाया जाता है।

जिस प्रकार व्यक्तिके जीवनमें मातृभाषाका महत्व होता है, उसी प्रकार राष्ट्रके जीवनमें 'राष्ट्रभाषा' का होता है। भावनात्मक ऐक्यका वह एक प्रभावी माध्यम है। राष्ट्रभाषा राष्ट्र की वाणी है। राष्ट्रगीत और राष्ट्रध्वज अगर राष्ट्रको गौरव प्राप्त करते हैं तो राष्ट्रभाषा राष्ट्र निवासियोंको एक सूत्रमें बाँधने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। राष्ट्रभाषाके बिना राष्ट्रकी कल्पनाही नहीं की जा सकती। राष्ट्रभाषा राष्ट्रीयत्वका एक महत्वपूर्ण अंग है। राष्ट्रके उद्गम और विकासमें भी राष्ट्रभाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। किसीभी राष्ट्रके उन्नतिकी जाँच पडताल राष्ट्रभाषा के राही की जा सकती है, क्योंकि राष्ट्रभाषा मानो राष्ट्रके हृदयका वह दर्पण है, जिसमें राष्ट्रके शताब्दियोंके अनुभव एवं ज्ञानका भंडार, उसकी सदियोंकी ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक परंपरा और उसके आदर्श स्वच्छ और सुस्पष्ट रूपमें प्रतिबिंबित होते है।

राष्ट्रभाषा के नाते हिन्दीका महत्व निम्नलिखित है -

<u>समूचे भारत की व्यवहारिक भाषा</u> -

हिन्दी समूचे भारत की व्यवहारिक भाषा है। यह हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार की तो मातृभाषा है। इसके अतिरिक्त गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, बंगाल में भी यह अच्छी तरह बोली और समझी जाती है। शेष प्रांतोंके लोगभी इससे भलीभाँति परिचित है। विभिन्न प्रदेशोंके लोग एक दूसरे की भाषा को भलेही न समझ सकें परन्तु

हिन्दी इसको थोडा-बहुत अवश्य समझ लेते हैं। इसका क्षेत्र विशाल है।

दूरदर्शनसे तो आज हिन्दीका बहुत बडा प्रचार हो रहा है। इसके लोकप्रियता के साथ हिन्दी जनभाषा बन रही है।

प्रशासनिक महत्व -

भारतके प्रशासकीय कार्योंने हिन्दी का प्रयोग उत्तरोत्तर बढता जा रहा है। क्योंकि लोगोंके लिए अंग्रेजी समझना कठिन है, इसलिए हिन्दीके प्रयोगमें रूचि बढती जा रही है। आज प्रशासन स्तरपर सभी व्यवहार हिन्दीमें हो, इसपर जोर दिया जा रहा है। पत्रव्यवहार, अहवाल, शासकीय घोषणा करारपत्र, सभी तरफ हिन्दीका प्रयोग हो रहा है।

विज्ञान, शिक्षण, दूरध्वनि, दूरदर्शन इस क्षेत्रमें हिन्दी ने नेत्रदीपक प्रगति की है।

भावात्मक एकतामें सहायक -

भारत यह एक बहुभाषी देश है। किसीभी बहुभाषी देशमें राष्ट्रभाषा यही एकात्मता का प्रभावी साधन है। भारतके विविध प्रांत, भाषा, धर्म, संस्कृति, साहित्य आदिको एकत्रित रखनेका ऐतिहासिक कार्य हिन्दीने किया है। आंतरप्रांतिय और सम्पर्क भाषाके रूपमें हिंदीका असाधारण महत्व है। अन्य भाषाओंका क्षेत्र सीमित है, परंतु हिन्दी का क्षेत्र विस्तृत है।

सांस्कृतिक महत्व -

राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिन्दी भारतीय संस्कृति को प्रतिबिम्बित करती है। इसे यदि सांस्कृतिक भाषा कहा जाए तो अत्योक्ति नहीं होगी। भारतीय आचार-विचार, रीति-रिवाज, दार्शनिक विचारधाराएँ, सामाजिक

मान्यताएं, परंम्पराएं धार्मिकता एवं आध्यात्मिकता हिन्दी के माध्यमसे जन-साधारण तक ह पहुँचती है। हिन्दी भारतकी संस्कृति की संरक्षिका एवं प्रचारिका है। कहा जा सकता है कि भारतीय संस्कृति तो संस्कृत भाषामें व्यक्त हुई है। यह ठीक है, परंतु संस्कृत जनसाधारण की भाषा नहीं रही। इसलिए इसके माध्यमसे भारतीय संस्कृति तक पहुँचना अत्यन्त कठिन है। हिन्दी संस्कृतसे जन्मी है। इसलिए उसे भारतीय संस्कृतिका प्रतिनिधित्व विरासत के रूपमें प्राप्त हुआ है।

साहित्यिक महत्व -

हिन्दी का साहित्य विकसित, व्यापक, समृध्द तथा बहुमुखी है। यह विश्वके किसी भी साहित्य के साथ टक्कर ले सकता है। इसमें जन-मानस की आशाएं - आकांक्षाएं हैं, दार्शनिक गम्भीरता है। मानवी संवेदनायें हैं, और सहज अभिव्यक्ति है।

दसवीं-ग्यारहवी शताब्दि से लेकर आज तक हिन्दी साहित्य की अक्षय धारा प्रवाहित होती चली आ रही है। सूरदास, तुलसी, जायसी, मैथिलीशरण गुप्त, प्रेमचंद, प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा अज्ञेय आदि कई कवियों और गद्यकारों ने हिन्दी साहित्यमें चार चाँद लगाए हैं।

मुस्लीम शासकोंके प्रभावसे (१६ वे १७ वे सदी में) इस भाषामें अरबी, फारसी, शब्दोंकी भरमार हुयी। इसी प्रकार ब्रज, अवधी, भोजपुरी, राजस्थानी जैसे अनेक बोलीका यह समन्वित रूप है।

प्राचीन कालसे हिंदीही साहित्य, धर्म, संस्कृति, राजनीती, व्यापार इ. की संवाहक भाषाके रूपमें प्रचलित है। हिन्दी की शिक्षा ग्रहण किये बिना कोई भी व्यक्ति भारतके व्यावहारिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवनको पूर्ण रूपसे नहीं समझ क सकता। हिन्दीका साहित्य इतना विशाल, गम्भीर

तथा मानवीय संवेदनाओंसे ओतप्रोत है कि विश्वके विश्वविद्यालयोंमें इसे पढाया जाता है ।

अभियांत्रिकी, अणुविज्ञान, जीवशास्त्र इ. विषय हिन्दीमें माध्यममें पढा सके इतनी क्षमता हिन्दीमे निर्माण हुयी है । जिस भाषाके साहित्यिक महत्वको संसार पहचान ने लग गया है, इस भाषा के साहित्यसे भारत वासियोंको वंचित रखना कदापि न्यायसंगत नहीं होगा ।

हिन्दी शिक्षाके व्यावहारिक उद्देश :

भाषिक उद्देशोंके साथ साथ दुय्यम भाषाके रूपमें हिन्दीके निम्न-लिखित व्यावहारिक उद्देश हैं -

१) प्रशासकीय उद्देश -

यद्यपि हिन्दी के साथसाथ अंग्रेजी का भी प्रशासनमें प्रयोग होता है, परंतु आवश्यकता इस बातकी है कि समूचा प्रशासकीय काम केवल हिंदी में हो । इसलिए राष्ट्रभाषाके रूपमें हिंदी शिक्षण का यह महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि सरकारी कार्यालयोंमें काम करनेके इच्छुक व्यक्ति हिंदीमें इतने प्रविण हो जाएं कि समस्त प्रशासकीय कार्य हिंदीमें कर सकें । केंद्रिय प्रशासनमें हिंदीका व्यापक प्रयोग होने लगा है । अहिन्दी भाषी प्रदेशोमेंसे जो व्यक्ति केंद्रीय प्रशासनमे काम करनेके इच्छुक है उन्हें इस उद्देश्यको सम्मुख रखना होगा । अत: हिंदी शिक्षणद्वारा अहिंदी भाषी विद्यार्थियोंको प्रशासकीय पत्रव्यवहारमें कुशल बनाना चाहिए ।

२) राष्ट्रीय उद्देश्य -

राष्ट्रमें एकता निर्माण करना, हिन्दी शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है । प्रदेश प्रदेशके बीच स्नेहसंबंध प्रस्थापित करके परस्पर आत्मीयता को बढाते हुए राष्ट्रीय एकता को दृढ करनेके उद्देश्य से हिंदी का अध्ययन देश-

निवासियोंका परम कर्तव्य है । इस कर्तव्य को मद्देनजर रखकर उसकी पूर्ति करनेके लिए शिक्षालयोमें हिन्दी पढाई अनिवार्य है । इस पढाईके द्वारा आंतरप्रांतीय व्यवहार के लिए आवश्यक जितना हिंदी का ज्ञान और बोलने तथा समझनेकी क्षमता छात्रोमें आ जानी चाहिए ।

३) साहित्यिक उद्देश्य -

हिंदी राष्ट्रभाषा होनेके कारण इस भाषा के साहित्य का महत्व एक प्रादेशिक भाषा के साहित्य के रूपमें न रहकर अखिल भारतीय होगा । विभिन्न प्रदेशोमें निर्मित साहित्य का आदान प्रदान हिंदी द्वाराही हो सकेगा ।

हिन्दी का अपना समृध्द साहित्य है । राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी पढते समय विद्यार्थी हिन्दी साहित्य का परिचयभी प्राप्त करेंगे । हिन्दी शिक्षणद्वारा उन्हें इस योग्य बनाना चाहिए कि वे हिन्दी साहित्य के विभिन्न विधाओं का रसास्वादन कर सकें ।

हिन्दीका व्यापक साहित्य किसी एक जातिका साहित्य नहीं, बल्कि समूचे भारत वर्षका साहित्य है । जायसी, रहीम आदि मुसलमान कवियों की रचनाएं भी हिन्दी साहित्य की अनमोल निधियाँ है । हिन्दीके संत साहित्यमें सिक्ख गुरुओंकी वाणिभी महत्वपूर्ण स्थान रखती है । इसाई मिशनरियों ने भी अपने धर्मके प्रचारके लिए हिंदीका प्रयोग किया है ।

सांस्कृतिक उद्देश्य -

राष्ट्रभाषा के रूपमें हिन्दी शिक्षा के द्वारा विद्यार्थियोंको भारतकी सांस्कृतिक विशेषताओंसे परिचित किया जाना चाहिए । भारतीय संस्कृति की परम्पराएं, आध्यात्मिक आदर्श, भारतीय दर्शन क आदिका परिचय हिन्दी के माध्यमसे ही दिया जा सकता है । यद्यपि प्राचीन भारतीय साहित्य

दर्शन, संस्कृति आदि संस्कृतमें व्यक्त हुए हैं, परंतु संस्कृत शिक्षणकी सुविधाएं हर कहीं प्राप्त नहीं है। इसलिए इनके हिंदी अनुवादद्वारा इनका परिचय करवाना चाहिए। हिन्दी शिक्षण के माध्यमसे विद्यार्थी भारतकी सांस्कृतिक आधारभूमि को समझ सकेंगे और उसके सांस्कृतिक विकासमें उचित सहयोग प्रदान कर सकेंगे।

जब राष्ट्रभाषाद्वारा भिन्न भिन्न भाषाभाषी लोग एक दुसरे को समझानेका प्रयास करेंगे, तब हम एकदूसरे की प्रादेशिक संस्कृतिकी विशेषताओं का भी परिचय पा सकेंगे। राष्ट्रभाषा के द्वाराही वह कार्य आसान प्रतीत होगा। इसलिए हिंदीके शिक्षाके उद्देश्यके इस सांस्कृतिक पहलू को हमें न भूलना चाहिए। हमारा देश प्राचीन देश है। इस प्राचीनताकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। भारतीय संस्कृतिका ज्ञान प्राप्त करना, हमारा कर्तव्य है।

हमारी संस्कृति कैसे बनी ? हमारी भाषा, भारतीय तत्वज्ञान, भारतीय उच्च कला, संगीत, शिल्प, भारतीय रस्मरिवाज आदि समझ लेना आवश्यक है।

<u>नागरिकता</u> -

भारतके हरएक नागरिक का यह श्रेष्ठ कर्तव्य है कि वह अपनी मातृभूमिकी राष्ट्रभाषाको आत्मसात करे। बगैर राष्ट्रभाषाके ज्ञानके उसकी शिक्षा-दीक्षा अधुरी रह जाएगी। आजके विद्यार्थी कलके नागरिक हैं, इसलिए उनके अभ्यासक्रममे हिन्दीको महत्व देना अनिवार्य है। भारतके क्रियाशील एवं सक्षम नागरिकके लिए भी हिंदीका ज्ञान आवश्यक है। नागरिकताके निर्वाहके लिए हर नागरिकको अपने देशके गौरवपूर्ण, विस्मृत इतिहास, विभिन्न प्रदेशोमें बिखरी हुयी अपनी श्रेष्ठ संस्कृतिकी विशाल परंपरा आदिकी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक होगा, जो राष्ट्रभाषाके जरिये ही संभव है। दूसरी बात

यह है कि वह राष्ट्रका जागरूक नागरिक कहलाएगा, जो राजकारोबारके मामलोंके प्रति सजग और सतर्क रहकर उसमें यथावश्य हाथ बटाएँ, और राष्ट्रके जीवनको सफल, संपन्न बनानेमें सहायता पहुंचा दे। यह सब हिंदीके ज्ञानके बिना असंभव है, क्योंकि आगे चलकर सरकारी परिपत्रक, कानूनी कार्यवाही, केंद्र सरकारके कामकाज, विभिन्न प्रदेशोंके नेताओंके व्याख्यान और संदेश राष्ट्रभाषा हिंदीमेंही प्रसारित होंगी।

व्यावसायिक उद्देश्य -

आजके जटिल जीवनमें कोई भी व्यक्ति अपने प्रदेशतक मर्यादित नहीं रह सकता। बल्कि किसी न किसी कारणसे उसे अन्य प्रदेशोंतक संपर्क स्थापित करना जरूरी हो जाता है। यह राष्ट्रभाषाके माध्यमसेही संभव है। प्रत्येक व्यक्तिको अपने व्यवसाय में सफल बननेके लिए राष्ट्रभाषा हिन्दी की सहायता लेनी पडती है। कोई भी व्यवसाय उसने क्यों न चुना हो, अनेक भाषा-भाषी व्यक्तियोंके साथ उसका संपर्क रहता है। हर प्रदेशमें विभिन्न प्रदेशके लोग रहते है। हिंदीद्वाराही उनके साथ बातचीत की जा सकती है।

हिन्दी के प्रचार एवं प्रसारके कारण स्वयं हिन्दीमें विभिन्न व्यवसायी जैसे पत्रकारिता, अनुवाद कार्य, हिंदी टाइपरायटर एवं स्टेनोग्राफी आदियें प्रवेश करने के द्वारे खोल दिए है।

२.६ हिन्दी शिक्षाके भाषिक उद्देश्य :

प्रस्तुत शोधप्रबंध का विषय मराठी माध्यमके माध्यमिक स्कूलके विद्यार्थियोंके उच्चारण और लेखन दोष कारणोंका पता लगाना, यह होनेके कारण अहिन्दी प्रदेशोंमें हिन्दी पढानेके क्या उद्देश्य हैं, यह देखना आवश्यक है।

१४ सितम्बर १९४९ का दिन हिन्दी भाषा के इतिहास का वह गौरवशाली दिन है, जिस दिन हिन्दी को भारतके संविधानने भारतीय संघ की राष्ट्रभाषा के रूपमें मान्यता प्रदान की । देश के कई भागो में हिन्दी मातृभाषा नहीं, वरन् इतर भाषा है । राष्ट्रभाषा स्वीकृत राज्यों में भी अनिवार्य हो रही है । इसप्रकार इसका अध्ययन मातृभाषा के रूपमें ही न होकर अन्य भाषाके रूपमें भी होने लगा है । विदेशों मे भी हिन्दी शिक्षण लोकप्रिय हो रहा है । इस कारण आवश्यक है कि इतर भाषा, द्वितीय भाषा या अन्य भाषाके रूप में हिन्दी शिक्षण के उद्देश्योंपर विचार किया जाए ।

द्वितीय भाषाके रूपमें हिन्दी शिक्षकके भाषिक उद्देश्य निम्नलिखित है -

१) शुध्द-शुध्द लिखना तथा बोलना हिन्दी शिक्षणका उद्देश्य है ।

२) शुध्द, सरल, प्रभावपूर्ण एवं स्पष्ट भाषामें अपने भावों, अनुभूतियों एवं विचारोंको व्यक्त करना ।

३) छात्रोंको उचित हाव-भाव, आरोह एवं अवरोह के साथ वाचन की कला बनाना ।

४) दूसरोंकी लिखित एवं मौखिक भाषा को समझने की योग्यता उत्पन्न करना ।

५) पठन-पाठन के प्रति रूचि पैदा करना तथा साहित्य का रसास्वादन करना ।

६) छात्रों के ज्ञान, विवेक एव चरित्रका विकास करना ।

७) मानव-जीवनकी विविध परिस्थितियों का अध्ययन कराकर उन्हें भावी जीवनके लिए तैयार करना ।

८) विविध लोकोक्तियो, मुहावरों आदि का ज्ञान कराना ।

९) हिन्दी भाषासे मराठी एवं मराठी से हिन्दी भाषामें अनुवाद करने की क्षमता का विकास करना ।

१०) अन्य भाषा भाषी क्षेत्र की सांस्कृतिक, सामाजिक एवं साहित्यिक परंपराओंका परिचय करना ।

महाराष्ट्र राज्यमें शैक्षणिक संशोधन और प्रशिक्षण परिषदकी तरफसे राष्ट्रीय शैक्षणिक नीति (धोरण) १९८६ के संदर्भमें १ ले ८ कक्षातक का पुनर्रचित अभ्यासक्रम का जखाल सादर किया, उसमें ५ से ७ तक के कक्षाके लिए हिन्दीके द्वितीय स्तरपर अध्यापन करनेके उद्देश्य तथा अपेक्षित क्षमता इस प्रकार दिए हैं -

- हिन्दी का शुध्द उच्चारण ।
- हिन्दीमें आसान विषयपर संभाषण ।
- आसान हिन्दीके गद्य परिच्छेद, कहानियाँ, संवाद, आसान कविता, अर्थबोध के साथ पढना ।
- आसान तथा शुध्द हिन्दीमें पत्र लिखना ।
- व्यावहारिक हिन्दी व्याकरणकी पहचान करवाना ।
- मातृभाषाके कुछ आसान परिच्छेदोंका हिन्दीमें अनुवाद करवाना ।
- परिचित हिन्दी शब्दसंग्रहके आधारपर बालसाहित्य पढानेकी प्रेरणा देना ।
- चित्रपट, रेडिओ, टी.व्ही. आदि द्वारा प्रसारीत कार्यक्रमका अधिकाधिक श्रवण करनेका मौका देना और मनोरंजन की क्षमता बढाना ।
- भारतके सर्वसमावेशक तथा विविधतापूर्ण संस्कृतीका स्थूलरूपसे परिचय करवाना और विद्यार्थियों में राष्ट्रीय भावना जागृत करना ।
- भारतके राष्ट्रीय जीवनमें हिन्दीका महत्व समझाना ।

प्रस्तुत शोधप्रबंधके संदर्भमें हिन्दीका अध्यापक कैसा चाहिए इसकी जानकारी पाना आवश्यक है ।

२.७ हिन्दी अध्यापक :

अ) अध्यापक की आवश्यकता -

आधुनिक शिक्षा-प्रणाली बालकेंद्रीत मानी जाती है । इसमें बच्चोंकी रूचियों, प्रवृत्तियों योग्यताओं और क्षमताओं आदिको महत्व देना चाहिए, लेकिन बच्चोंकी इन आन्तरिक विशेषताओं को शिक्षक ही पहचानते है और इसके अनुसार उन्हें मार्गदर्शनभी करते हैं ।

भारतीय प्रार्थनामें -

गुरूर्ब्रह्मा गुरूर्विष्णु
गुरूर्देवो महेश्वरः
गुरू साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरवे नमः।

भारतीय परम्परामें शिक्षक का सर्वोच्च स्थान रहा है । उसे देवताओंसे भी अधिक पूज्य माना गया है । कबीर कहते हैं -

" गुरू गोविंद दोऊ खडे काके लागूँ पाय
बलिहारी गुरू आपने जिन गोविंद दियो बताय । "

बालकेंद्रीत शिक्षा पध्दतिमें अध्यापका निश्चित महत्व है । शिक्षा की सूत्री प्रक्रिया अध्यापकके इर्द-गिर्द घुमती है ।

१) बच्चों की रूचि, अभिवृत्ति, क्षमता और योग्यता शिक्षक जानता है ।

२) पाठ्यक्रम का निर्माण शिक्षक ही करते हैं ।

३) पाठके अनुसार उपयुक्त शिक्षण-विधिका प्रयोग ।

४) शिक्षण के साधन जुटानेका काम ।

५) समाज के नव-निर्माण का काम ।

६) बच्चोंको राष्ट्रका भविष्य कहा जाता है । ये भविष्य उनके विद्यालयोंमें पलता है और उसके पोषणका महत्वपूर्ण कार्य अध्यापकोंद्वारा किया जाता है ।

शिक्षक के महत्वका मुदलियार शिक्षा आयोगने कहा है कि,

" हम इस बातसे पूर्णरूपेण सहमत है कि शिक्षा के पुनर्निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व अध्यापक है । उसके वैयक्तिक गुण, उसकी शैक्षणिक योग्यताएँ, उसका व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा स्कूल एवं समुदायमें उसका स्थान है । स्कूलकी प्रसिध्दी तथा सामुदायिक जीवनपर उसका प्रभाव उसमें काम कर रहे अध्यापकों पर आधारित होता है । "[१]

प्रसिध्द दार्शनिक राधाकृष्णन्ने अध्यापकके महत्व को दर्शाते हुए कहा है -

" समाजमें अध्यापक का स्थान सशक्त एवं महत्वपूर्ण है । वह एक पीढिसे दूसरी पीढीतक बौध्दिक परम्परायें एवं कौशल संचारित करनेमें केंद्रीय भूमिका निभाता है, और सभ्यताकी स्थितिको प्रज्वलित रखनेमें सहायता प्रदान करता है । "[२]

---

१) एम.एस. सचदेवा, स्कूल प्रबंध तथा प्रशासन (प्रकाश ब्रदर्ज, लुधियाना), अध्यापक, प.नं. ३५.

२) भाटिया, नारंग, आधुनिक हिन्दी शिक्षण विधिया (प्रकाश बदर्ज लुधियाना), हिन्दी शिक्षक, प.नं. ११८.

भाषा शिक्षक का महत्व :

भाषा शिक्षक का महत्व अन्य विषयों के शिक्षकोंसे अधिक होता है। क्योंकि -

१) उसे विद्यार्थियोंको अभिव्यक्ति तथा ज्ञान ग्रहण करनेका सशक्त साधन (भाषा) प्रदान करना होता है।

स्वाभाविक रीतिसें प्राप्त किया गया मातृभाषाका ज्ञान अभिव्यक्तिके लिए पर्याप्त नहीं होता। शुद्ध व्याकरण-सम्मत तथा कुशल प्रयोगके लिए गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। केवल मातृभाषाके ज्ञानसे ही वर्तमान-युगके व्यक्तिका काम नहीं चलता। अपने सामाजिक, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सम्पर्कके लिए उसे अन्य भाषाएँ भी सीखनी पडती है। इसके लिए नियमित रूपसे अध्यापकसे शिक्षा-ग्रहण करनेकी आवश्यकता होती है।

२) विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान करनेके लिए भी ` भाषा ` की आवश्यकता पडती है। विज्ञानके, इतिहासके अध्यापकसे विद्यार्थी इतिहास, विज्ञान पढ सकता है परंतु यदि वह विज्ञानके अध्यापकद्वारा बोली गयी भाषा और विज्ञानकी पुस्तकमें लिखी गयी भाषाको नहीं समझ सकता तो विज्ञानका ज्ञान कैसे प्राप्त करे सकता है ? इसी प्रकार सभी विषयोंका माध्यम ` भाषा ` है और भाषा अध्यापक इस माध्यमके प्रयोगमें प्रवीणता प्रदान करता है। इसलिए उसका महत्व अन्य अध्यापकोंसे अधिक है।

हिन्दी अध्यापक के सामान्य गुण -

सफल अध्यापक बननेके लिए कुछ सामान्य बातें अध्यापकमें चाहिए, जो निम्नलिखित अ. है।

व्यक्तित्व -

जिसका व्यक्तित्व प्रभावी है, वही अपने शिक्षणको उपयोगमें ला सकता है। ऐसे ही अध्यापक विद्यार्थियोंके लिए अनुकरणीय होते हैं। ऐसे अध्यापकसे पढने और उसका अनुकरण करनेमें भी विद्यार्थी गर्वका अनुभव करते हैं। व्यक्तित्व का संबंध केवल बाह्य स्वरूपसे नहीं, आंतरिक गुण भी इसमें निहित हैं। अच्छे व्यक्तित्व में शारीरिक, मानसिक एवं बौध्दिक और नैतिक गुण भी अपेक्षित है।

शारीरिक दृष्टिकोणसे -

शिक्षक स्वस्थ एवं स्फूर्ति युक्त होना चाहिए। कक्षामें अध्यापककी स्फूर्ति एवं सक्रियता बच्चोंको बहुत प्रभावित करती है। इसके अतिरिक्त उसकी वाणीमें ओज, माधुर्य चाहिए। वेष-भूषा उचित चाहिए। उचित याने कपडे महँगे नही तो साफसूथरे चाहिए। विद्यार्थियोंके प्रति प्रेम तथा सहानुभूति चाहिए। कई अध्यापकों को विचित्र आदते होती हैं - जेबमें हाथ डालकर पढाना, नाखून कुतरना, खडिया उडाना इत्यादि। ये आदतें उसे दूर करनी चाहिए।

मानसिक एवं बौध्दिक दृष्टिकोणसे -

उसमें ज्ञानके प्रति रूचि, अध्ययनशीलता, मानसिक संतुलन, उदारता, धैर्य, विनोदप्रियता, प्रसन्नता, निरीक्षणशक्ति आदि गुण आवश्यक हैं।

नैतिक दृष्टिकोणसे -

उसमे कर्तव्यनिष्ठता, चारित्र्य, सत्यवादिता, न्यायप्रियता, मिलनसार, ईमानदारी आदि गुण आवश्यक है। इसके बारेमें महात्मा गांधीजीके विचार इस प्रकार हैं -

" ऐसे अध्यापकपर अफसोस है, जो जबानसे कुछ और पढता है परंतु उसके दिलमें कुछ और रहता है । "१

डब्ल्यु एच. रायबर्न -

" शिक्षण प्रक्रिया की सफलता अध्यापक, उसके ज्ञान, उसकी कुशलता और विशेषकर उसके व्यक्तित्व एवं उसके चारित्रिक गुणोंपर आधारित है । "२

२) व्यवहार कुशलता -

व्यवहार कुशलता भाषा शिक्षक का आवश्यक सामान्य गुण है । उसे विद्यार्थियों, अपने सहकर्मियों, अधिकारियों तथा विद्यार्थियोंके माता-पिताके साथ व्यवहार करना पडता है । उसके व्यवहारमें मृदुलता, विनम्रता, विनोद-प्रियता तथा क्रियात्मकताके गुण होने चाहिए । उसको यह व्यवहार कुशलता उसे लोकप्रिय बनाती है । और अध्यापककी लोकप्रियता उसके शिक्षणको उपयोगी एवं प्रभावशाली बनानेमें बहुत सहायक होती है ।

३) शिक्षा एवं उपाधियाँ -

अन्य अध्यापकोंके समान भाषा शिक्षकको भी वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करनी चाहिए और विश्वविद्यालयोंसे आवश्यक उपाधियाँ प्राप्त करनी चाहिए । उसी प्रकार प्रशिक्षणभी आवश्यक है । कोईभी शिक्षक प्रशिक्षणके बिना अपना कार्य कुशलतापूर्वक नहीं कर सकता । प्रशिक्षण का

---

१) एम.एस. सचदेवा, स्कूल प्रबंध एवं प्रशासन (प्रकाश ब्रदर्स, लुधियाना) अध्यापक, प.नं. ४१.

२)वही किताब, प.नं. ४०.

BARR. BALASAHEB KHARDEKAR LIBRARY
SHIVAJI UNIVERSITY KOLHAPUR

महत्व बताते हुए जॉन लॉक ने कहा है - " जो पढानेका ढंग जानता है, वही शिक्षाका गुप्त रहस्य जानता है । "

४) पाठ्येतर क्रियाओंमें योग्यता -

भाषा शिक्षकके लिए केवल अपने शिक्षण विषयकी वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करनाही पर्याप्त नहीं, बल्कि, उसे पाठ्येतर क्रियाओंके संचालन में भी योग्य होना चाहिए । उसे स्कूलके कवि सम्मेलन, वादविवाद, भाषण-प्रतियोगिता, समाजसेवाके कार्यक्रम आदिके संचालनमें पर्याप्त रुचि दिखानी चाहिए । इससे अध्यापक तथा उसद्वारा पढाई गई भाषाकी लोकप्रियता में वृध्दि होती है ।

५) बालमनोविज्ञानका ज्ञान -

बालमनोविज्ञान शिक्षाका एक आवश्यक अंग है । शिक्षकको केवल अपनेही विषयका ज्ञान नहीं, तो उसे उन बच्चोंका भी ज्ञान होना चाहिए, जो उसके पास पढनेके लिए आता है । आज-कल शिक्षाको बाल-केंद्रित बनानेकी आवश्यकतापर बल दिया जा रहा है । बच्चोंकी मानसिक प्रवृत्तियों, रुचियों, आवश्यकताओं आदिके सम्यक ज्ञानके बिना शिक्षाको बाल केंद्रित नहीं बनाया जा सकता । व्यक्तिगत विभिन्नताका ध्यान रखना शिक्षणका एक सामान्य सिध्दांत है, परंतु मनोवैज्ञानिक के ज्ञानके बिना इस सिध्दांत का पालन नहीं किया जा सकता ।

६) अध्यापन अनुभव -

यह सत्य है कि नव-प्रशिक्षित अध्यापक की अपेक्षा अनुभवप्राप्त अध्यापक अधिक कार्यकुशल होता है । इसलिए उसे अध्ययन-कार्यमें अधिकाधिक अनुभवप्राप्त करनेका प्रयास करते रहाना चाहिए ।

७) अनुसन्धान प्रवृत्ति -

अध्यापक को सभी संस्थाओंमें एक जैसी शिक्षणविधि का कठोरतासे अनुसरण नहीं करना चाहिए। कई अध्यापक हर वर्ष वही नोट्स लिखवाते हैं जो उन्होंने दस वर्ष पहले तैयार किए थे, यह उचित नहीं। उसे हमेशा नये सुधारोंपर विचार करना चाहिए। उसे शिक्षणके प्रत्येक तत्व, विषय और विधि को सुधारनेमें रूचि लेनी चाहिए। शिक्षा-क्षेत्रके नवीन तम विकास-कार्योंमें उसे रूचि चाहिए।

८) समयकी पाबंदी -

विद्यार्थी कई बार अध्यापककी कई आदतोंका अनुकरण करते हैं। यदि अध्यापक स्वयं समयका पाबन्द है, वक्तपर कक्षामें आना, वक्तपर कक्षासे जाना, वही विद्यार्थियोंको प्रभावित करते हैं। अत: शिक्षकको समयकी पाबंदी चाहिए।

९) आत्म विश्लेषणके लिए तैयार -

एक अच्छा अध्यापक आत्म विश्लेषणद्वारा अपने आपको सुधारनेके लिए हमेशा तैयार रहता है। वह अपनी कमियोंको स्वीकारनेमें कभी संकोच नहीं करता। यदि कभी उससे गलत पढायामी जाए, तो वह उसे ठीक करनेमें संकोच नहीं करना चाहिए। बडा अध्यापक वही है, जो आत्मविश्लेषणके लिए तत्पर है, और दूसरोंसे अधिक सीखने का प्रयत्न करता है।

१०) हर प्रकारके संकीर्णतासे मुक्त -

उसे किसी प्रकारकी राजनीतिक एवं धार्मिक संकीर्णतामें नहीं उलझाना चाहिए। उसे विद्यार्थियोंको स्वतंत्र चिन्तक बनाना है।

हिन्दी शिक्षकके विशिष्ट गुण :

हिन्दी शिक्षकका मुख्य कार्य हिन्दी पढाना है। हिन्दी पढाते समय एक ओर उसे हिन्दी भाषाके विभिन्न तत्वोंका ज्ञान कराके हिंदीमें अभिव्यक्ति की योग्यता प्रदान करनी होती है, और दूसरी ओर उन्हें हिन्दी भाषाके माध्यमसे ज्ञान प्राप्त करने तथा हिन्दी साहित्य का रसास्वादन करनेके योग्य बनाना होता है। इस विशिष्ट कार्यको कुशलतापूर्वक संपन्न करनेके लिए उसमें कुछ विशिष्ट गुणोंका होना अत्यंत आवश्यक है।

१) हिन्दी भाषापर अधिकार -

हिन्दी पढानेके लिए हिन्दी भाषापर अधिकार होना अत्यंत आवश्यक है। हिन्दीके पूरे ज्ञानके बिना हिन्दी शिक्षक शिक्षण कार्य कुशलतापूर्वक नहीं कर सकता। हिन्दी शिक्षकको ज्ञात होना चाहिए कि, हिन्दीका विकास किस प्रकार हुआ ? हिन्दी भाषाकी कौनसी विशेषताएँ हैं ? हिन्दीके विकासमें किन-किन विद्वानोंका योगदान रहा है ? हिन्दीके विकासमें आजकल क्या कार्य चल रहा है ? हिन्दी भाषाके विभिन्न अंग कौनसे है ? आदि बातोंकी जानकारी चाहिए। उसी प्रकार वाचनमें निपुण, भाषामें शब्दों, मुहावरोंका प्रयोग करना चाहिए।

२) हिन्दी साहित्य का ज्ञान -

हिन्दी शिक्षकको हिंदी साहित्यका पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। उसे हिन्दी साहित्यकी विभिन्न प्रवृत्तियाँ, कवि एवं गद्यकारों की जीवनी तथा उनकी रचनाओंका पर्याप्त परिचय होना आवश्यक। हिन्दी साहित्य के विभिन्न अंग, पद्य, गद्य, नाटक, व्याकरण इ. की उसे जानकारी आवश्यक। जहांतक हो, कमसे कम प्रसिध्द साहित्यकारोंका अध्ययन करना चाहिए।

३) भारतीय संस्कृति का ज्ञान -

भारतीय संस्कृतिसे अनभिज्ञ हिन्दी शिक्षक कबीर, नानक, तुलसी, सूर, निराला, पंत, महादेवी तथा अन्य कवियोंकी वाणीकी कुशलतापूर्वक व्याख्या नहीं कर सकता । हिन्दी कवियोंकी कविताओंका रसास्वादन करानेके लिए प्राचीन-पौराणिक कहानियों तथा उनमें निहित आदर्शोंका ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है । केवल कविताही नहीं तो नाटक, उपन्यासोमेंभी प्राचीन प्रसंग मरे पडते हैं । उसकी अवहेलना कर हिन्दी की शिक्षा कुशलतापूर्वक नहीं की जा सकती । हिन्दी साहित्य की व्यापक धारणा हिंदी साहित्यमें व्यक्त हुई है । शिक्षक को उसकी जानकारी रखना आवश्यक है ।

४) साहित्यमें रूचि -

हिन्दी शिक्षक हिन्दी साहित्यका ज्ञान तभी रख सकेगा, यदि उसे साहित्यमें रूचि होगी, क्योंकि ज्ञान और रूचिमें चोलीदामन का संबंध है । हिन्दी साहित्य का इतिहास निरंतर विकसीत हो रहा है । उसके भण्डारमें निरंतर वृध्दि हो रही है । नए नए साहित्यकार सामने आ रहे हैं, और नयी नयी रचनाओंका प्रकाशन हो रहा है । हिन्दी शिक्षक को इन सबसे परिचित होना आवश्यक है । भाषा और साहित्य गतिशील है, इनसे कदम मिलाते रहना हर हिन्दी शिक्षक का कर्तव्य है ।

५) सरल अभिव्यक्ति -

सरल अभिव्यक्ति हिन्दी शिक्षकका एक आवश्यक गुण है । यह सत्य अभिव्यक्ति विद्यार्थियोंके स्तरानुकूल सरल बनानी चाहिए । कभी कभी शिक्षक कोई कविता समझाते समय इतना आत्मविभोर हो उठता है कि वह विद्यार्थियोंकी उम्र, स्तर आदिका विचार नहीं करता ।

7541
A

६) शिक्षण-विधियोंका ज्ञान -

हिन्दी शिक्षकको प्रशिक्षण कालमें शिक्षण विधियोंकी जानकारी कराइ जाती है, परंतु केवल जानकारी प्राप्त कर लेना पर्याप्त नहीं, बल्कि उनके क्रियात्मक प्रयोगकी भी उसमें योग्यता होनी चाहिए। जो हिन्दी शिक्षक हिन्दी शिक्षण-विधियोंका जितना अधिक कुशलतापूर्वक प्रयोग कर सकेगा उतना अधिक उसका शिक्षण सफल एवं उपयोगी होगा। अध्यापकको हमेशा इस बातका ध्यान रखना चाहिए कि किस पाठके लिए और किस कक्षा के लिए कौनसी शिक्षण-विधि उपयोगी रहेगी। उसीके अनुसार कार्य करना चाहिए।

७) सतत प्रयत्नशीलता एवं अध्ययनशीलता -

हिन्दी शिक्षक को सतत अध्ययनद्वारा अपने ज्ञानकी ज्योतिको प्रज्वलित रखना चाहिए।

रविंद्रनाथ टैगोर का यह कथन हमेशा ध्यानमें रखना चाहिए -

" अध्यापक तब तक वास्तविक अर्थमें नहीं पढा सकता, जब तक वह स्वयं निरंतर न सीखता रहे। एक दीपक तब तक दूसरे दीपक को प्रज्वलित नहीं कर सकता जब तक वह स्वयं न जलता रहे। "[१]

इसके साथ साथ उसे अन्य विषयोंका भी नवीनतम ज्ञान होना चाहिए। कई हिन्दी शिक्षक हिन्दी साहित्यतक ही अपने ज्ञानको सीमित रखते हैं। ऐसी प्रवृत्ति ठीक नहीं। उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि हिन्दी पढाते समय कईबार दूसरे विषयोंके साथ समवाय स्थापित करनेकी आवश्यकता होती है। कुशल

---

१) भाटिया नारंग, आधुनिक हिन्दी शिक्षण विधियाँ, प्रकाश ब्रदर्स, प.नं. १२४.

समवाय स्थापन करनेके लिए अन्य विषयोंका ज्ञान आवश्यक है। अत: हिन्दी शिक्षकको विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं, पुस्तकों, संदर्भ पुस्तकों, विश्वकोष आदिके माध्यमसे अपना ज्ञान नवीनतम बनाए रखनेका प्रयास करना चाहिए। उसे हमेशा शिक्षण-विधियोंके विकासमें नये प्रयोग करते रहना चाहिए। प्रशिक्षण कालमें उसे जिन शिक्षण विधियोंका ज्ञान प्रदान किया जाता है, उसके अतिरिक्त उसे शिक्षण विधियोंके क्षेत्रमें हो रहे नये प्रयोगोंके प्रति भी स्वचेत रहना चाहिए।

इसके अतिरिक्त उसे शिक्षणसामग्री तथा शिक्षणसाधनोंके विकास-द्वारा भी अपने शिक्षण कार्यको प्रभावशाली बनाना चाहिए।

८) <u>अपने कार्यमें आस्था</u> -

उपर दिए हुए सभी गुणोंकी आस्था यह बुनियाद है। यदि हिन्दी शिक्षकको अपने काममें आस्था नहीं तो अध्यापन कार्य रूचिसे नहीं कर सकेगा।

यदि कोई व्यक्ति बिना रूचिके केवल रोटी रोजी के लिए काम करता है, तो उसे आस्था निर्माण करती होगी। आस्थासे ही रूचि बढती है, और व्यक्ति विकासकी ओर अग्रसर रहता है। यह गुण प्रमुख है। उसीपर सभी गुण आधारित है।

२.८ <u>हिन्दी अध्यापन पध्दतियाँ</u> :

विद्यार्थियोंके उच्चारण और लेखनदोषके संदर्भमें हिन्दीकी अध्यापन पध्दतियोंका अभ्यास करना प्रस्तुत शोधप्रबंधके संदर्भमें अत्यावश्यक है। इस दृष्टिसे अध्यापनपध्दतियाँ कौनसी हैं, इसकी जानकारी लेंगे।

यद्यपि हिन्दी भारतकी ही एक भाषा है, किंतु जहाँतक भाषाकी पाढाईका सवाल है, मातृभाषेतर अन्य सभी भाषाओंकी गिनती पराई भाषाके

अंतर्गत ही की जानी चाहिए। इस प्रकार अध्यापन पध्दतिकी दृष्टिकोणसे हिन्दीको भी विदेशी भाषा मानना ठीक होगा, और उस नातेसे उसकी पढाई के लिए भी वही पध्दति अपनाना श्रेयस्कर होगा, जो अन्य विदेशी भाषाओंको पढानेके लिए उपयोगमें लायी जाती है।

भाषा पढानेके समय जब किसी पध्दतिका अवलंब किया जाता है, तब अध्यापकको निम्नलिखित चार बातोंपर ध्यान देना पडता है।

१. किसको पढाना है ?
२. क्यों पढाना ?
३. क्या पढाना ?
४. कैसे पढाना ?

<u>किसको पढाना</u> ?

एक जमाना था जब कि शिक्षा पध्दतिमें पाठय-विषयको ही प्रधान स्थान था और जिस छात्रको विषयका ज्ञान देना है, उसे महत्व नहीं था। शिक्षकका विषयपर प्रभुत्व ही पढाई की सफलता का अनिवार्य अंग था, और छात्रोंके दिमागमें अपने विषय की जानकारी ठूँसठूँसकर भरनेमेंही शिक्षक कृतार्थ मानते थे। आज यह पध्दति त्याज्य मानी गयी है। आज यह माना जाता है कि, शिक्षा के कार्यमें दो घटक हैं - शिक्षक और विद्यार्थी। विषयके साथ छात्रोंका ज्ञान जरूरी है। परस्पर सहकार्यपर शिक्षाकी सफलता निर्भर है।

पहले शिक्षाका केंद्र पाठयविषय था। आज शिक्षाका केंद्र विद्यार्थी है। इसलिए आजकी शिक्षा पध्दति बालकेंद्रीत मानी जाती है।

शिक्षक जिन विद्यार्थियोंको पढाता है, उनकी रूचि, बौध्दिक स्तर, उम्र और विकासावस्था इ. की जानकारी शिक्षकको होना जरूरी है।

क्या पढाना ?

छात्रोंकी जानकारी प्राप्त कर लेनेपर शिक्षाके कार्य की दूसरी माँग शिक्षक का विषयपर प्रभुत्व । जिस विषयका ज्ञान शिक्षक अपने छात्रोंको देना चाहता है, उसका ज्ञान उसको होना जरूरी है । कक्षामें प्रवेश करते समय शिक्षकको पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए । अगर तैयारी अधूरी है, तो वह आत्मविश्वासके साथ नहीं पढा सकेगा ।

क्यों पढाना ?

पढानेका उद्देश्य क्या है ? यह देखना हिन्दी-शिक्षकको आवश्यक है । क्योंकि प्रत्येक विषय तथा पाठय भागके अनुसार उद्देश्यमें भी फर्क हो जाता है । अत: पढाई प्रारंभ करनेसे पहले पाठका उद्देश्य सुस्पष्ट रूपमें शिक्षकके सामने रहना चाहिए । उद्देश्यविहित पाठ किसी भी मोलका नहीं होता ।

कैसे पढाना ?

उद्देश्य निश्चित हो जानेपर उसकी सिध्दिकी दृष्टिसे जो अनुकूल होगी, वही पध्दति पढाते समय उपयोगमें लायी जानी चाहिए, यहीं ` कैसे पढाना ? ` का जवाब है ।

शिक्षक का अपने विषयपर चाहे जितना प्रभुत्व क्यों न हो और विषय की पढाई के लिए चाहे जितने सहायक साधन उसने क्यों न उपलब्ध किये हो परंतु पढाईके कार्यमें अगर उसे सफल होना है तो योग्य अध्यापन पध्दति का ही उसे चुनाव करना चाहिए । विषयानुरूप अध्यापन पध्दति पाठकी सफलताकी कुंजी है ।

२.८ अ) <u>स्वाभाविक प्रणाली</u> -

भाषाका ज्ञान बालक का कोई अनुवांशिक गुणधर्म नहीं है । अपनी अन्य इंद्रियोंकी तरह वह भाषाज्ञान लेकर इस दुनियामें नहीं आता । अब बच्चा छोटा होता है, तो उसे कुछ ध्वनियाँ सुनाई देती है । उनका अर्थ उसके ध्यानमें नहीं आता । इनमेंसे कुछ ध्वनियाँ उसे बार-बार सुननेको मिलती है । घरमें अन्य बालक, उसके भाई-बहन माताको ` माँ ` कहते होंगे तो यह शब्द उसके कानोंपर कईबार आता है । अपनी माताको बार-बार देखनेसे वह उसे पहचानने लगता है । अब वह ` माँ ` यह ध्वनि और व्यक्तिमें संबंध स्थापित करता है ।

भाषाको आत्मसात करनेकी यह जो स्वाभाविक क्रिया बालकद्वारा की जाती है, उसका विश्लेषण करनेसे इस क्रियाके निम्नलिखित पहलू स्पष्ट होते हैं -

<u>श्रवण</u> -

बालक दुसरोंद्वारा उच्चारित ध्वनि पहले सुनता है । उससे श्रवणशक्ति विकसित होती है । अगर बालकको ` कान ` अपने काम में क्षमता न रखें तो भाषा अपनाने की क्रियामें बालक सफल नहीं हो सकता । इसलिए सही उच्चारण, बोलनेके ढंग को आत्मसात करनेके लिए अच्छी भाषा सुननेका मौका मिलना चाहिए ।

<u>देखना</u> -

दूसरे व्यक्ति जिस वस्तुको लक्ष्य करके कोई शब्द बोलते हैं, बालक वह वस्तु देखता है । उसे देखनेसे उसके अन्त:स्थलपर उसका चित्र अंकित होता है । बालक अनुभूतिशील होता है और अनुभूतियाँ पानेमें नेत्रेंद्रियोंका स्थान महत्वपूर्ण है । ये अनुभूतियाँ बालक के मनमें भाव या विचार जगानेमें सहायक होती है ।

ध्वनि और वस्तु में संबंध स्थापित करना -

कानोंसे सुनी हुयी ध्वनि और आँखोसे देखी हुयी वस्तुमें जबतक संबंध स्थापित नहीं किया जाता, तब तक ध्वनिका अर्थ बालकके ध्यानमें नहीं आएगा। बालक जो भाषा या शब्द समझ नहीं सकता, ऐसी भाषा या शब्दों के व्यवहारमें उसे रूचि नहीं होगी। यदि उसमें उसे रूचि न हो तो ग्रहणशक्ति और श्रवणशक्तिपर उसे बोझसा मालूम होगा। यह संबंध स्थापित करना याने उस ध्वनिका अर्थग्रहण करना। यह क्रिया अंतर्मनद्वारा की जाती है।

अनुकरणद्वारा उच्चारण -

बालक अपने अनुकरण प्रवृत्तिको काममें लाते हुए सुने हुए शब्दका उच्चारण करनेका प्रयत्न करता है। भाषा एक कला है, और कलाको आत्मसात करनेका एकमेव तरीका है, अनुकरण। यद्यपि ध्वनि निर्माण करनेकी शक्ति उनमें होती ही है, लेकिन भाषामें जो भिन्न भिन्न ध्वनियों या ध्वनि-समुच्चयोंका प्रयोग करने की कला उसे आत्मसात करनी पडती है। यह कला अनुकरणसे प्राप्त होती है।

अभ्यास -

किसी क्रियाको बार-बार करनेकोही अभ्यास कहते हैं। अभ्याससेही आदत डाली जाती है। बार-बार कोईभी शब्द उच्चारण करनेसे उसमें स्वाभाविकता आ जाती है। अधिक सुनने और अधिक बोलनेसे भाषामें बालक की योग्यता बढती है।

सामान्यतया मातृभाषाका प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त करनेका यही तरीका है। आगे चलकर समाज बालकोंके लिए शिक्षालयद्वारा मातृभाषाके योजनाबध्द अध्ययनकी विशेष व्यवस्था करता है।

मातृभाषा सीखनेकी इसी प्रणालीको स्वाभाविक प्रणाली कहा जाता है।

भाषाकी शिक्षामें स्वाभाविक प्रणाली अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि बिना विशेष प्रयत्न के भाषाको आत्मसात किया जाता है। भाषा-विज्ञान की दृष्टिसे यह बात सर्वसम्मत है कि भाषाके वातावरणमें रहनेपर बालक अनायासही भाषा ग्रहण करता है। उसी प्रकार अन्य नयी भाषाएँ सीखनेके लिए बुनियादका काम करती है।

उपर्युक्त महत्व होनेपरभी इस प्रणालीद्वारा केवल भाषण अंगकाही विकास होता है। लेखन और वाचन मे भाषाके महत्वपूर्ण अंग उपेक्षित रहते है। साहित्यिक भाषाकी पहचान नहीं होती और पढाई मंथर गतिसे होती है।

२) <u>व्याकरण-अनुवाद प्रणाली</u>

यह कोई नयी प्रणाली नहीं, बल्कि अतिप्राचीन कालसे लेकर भाषा शिक्षामें इसका उपयोग होता रहा है। प्राचीन कालमें ग्रीक, लॅटिन, संस्कृत जैसी भाषाएँ पढनेमें इसी प्रणालीका इस्तेमाल कियाजाता था। १९ वी शताब्दितक भाषा शिक्षा की प्रचलित प्रणाली नहीं थी। इस प्रणालीको अप्रत्यक्ष प्रणालीभी कहा जाता है।

यह एक ऐसी प्रणाली है, जिसमें छात्रकी रूचि-अभिरूचि, प्रवृत्ति आदिका ख्याल न करके पाठयविषयपरही अधिक मात्रामें ध्यान केंद्रित रहता है, जो कि आजकी बालक केंद्रित शिक्षा पध्दतिके खिलाफ है। इसमें व्याकरणके नियमोंको आत्मसात करनेपर अधिक जोर दिया जाता है। इस प्रणालीसे पढाये जानेवाले पाठकी रूपरेखा इसप्रकार होती है -

वाक्य-रचनाके नियमोंका स्पष्टीकरण -

अध्यापक हिन्दीमें वाक्य रचना कैसे की जाती है, वाक्य के पदोंमें परस्पर संबंध कैसे स्थापित किया जाता है, आदि बातोंको स्पष्ट करता है। आवश्यकताके अनुसार अपनी प्रादेशिक भाषाकी वाक्य-रचना और हिन्दीकी वाक्य-रचना की तुलना करते हुए वह समझा देता है। वह यह विवेचन विद्यार्थियोंकी अपनी भाषामें ही कर सकता है।

पाठोंका अध्यापन -

व्याकरण अनुवाद प्रणालीसे जब भाषाकी शिक्षा दी जाती है, तब अनुवाद मालाकी कोई पुस्तक पाठय-क्रममें नियत की जाती है। इसके साथ साथ भाषाके पाठयक्रममें अन्य पुस्तकेंभी होती है। पाठों का अध्यापन इस प्रकार किया जाता है :

अध्यापक आवश्यक विवरण देता है। इससे पाठयविषयसे बालक परिचित होता है।
अध्यापक पाठ पढकर सुनाता है।
व्याकरण की दृष्टिसे आवश्यक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाता है।
कठिन शब्दोंका विद्यार्थियोंकी मातृभाषामें अर्थ दिया जाता है।
हरएक वाक्यका अनुवाद कराया जाता है।

व्याकरण अनुवाद प्रणाली अमन वैज्ञानिक सिध्द हुयी है, क्योंकि उसमें व्याकरणको अत्यधिक महत्त्व दिया गया है, और विद्यार्थियोंकी रूचि, अभिरूचि, ग्रहणशक्ति, उम्र की ओर दुर्लक्ष किया है। अत: यह प्रणाली आजके शिक्षण पध्दतिमें त्याज्य मानी गयी है।

३) <u>सम्भाषणात्मक प्रणाली</u> :

उन्नीसवी सदीके उत्तरार्धमें मनोविज्ञान और शिक्षाशास्त्रका बहुत विकास हुआ। बालककी सहज प्रवृत्तियों को ध्यानमें लेते हुए भाषा सिखानेकी प्राचीन कालसे चली आयी हुयी प्रणाली सदोष मानी जाने लगी। शिक्षा-शास्त्रीयोंने अनुभव किया कि अध्यापको और बालकोंके परिश्रम की तुलनामें उनकी सफलता की मात्रा कम है। इसलिए भिन्न भिन्न दृष्टिकोणोंसे भाषा शिक्षा के भिन्न भिन्न पहलुओंकी बाबत शिक्षा शास्त्री सोचने लगे। वे ऐसी प्रणाली चाहते थे जिससे बालकोंको कमसे कम प्रयत्नमें शिक्षा दी जा सके।

शिक्षा शास्त्रीयोंने देखा कि श्रवण-शक्ति अंतर्मनद्वारा ग्रहण करनेकी शक्ति, दूसरोंके द्वारा निर्मित ध्वनि समुच्चयोंका अनुकरण करनेकी शक्ति बालकमें जन्मजात होती हैं। इस प्रणालीके निर्माताओंमे ग्विन, पॉलमासी, स्वीट, जेतारसन आदि शिक्षा शास्त्री हैं। सम्भाषणात्मक प्रणालीकी व्याख्या कुछ शिक्षा शास्त्रीयोंने इसप्रकार की है।

एच. चैम्पिअन - ' अहिन्दी भाषी प्रदेशके बालकोंको हिन्दी पढानेकी ' डायरेक्ट मेथड ' वह प्रणाली है, जिससे उनको हिन्दी सीधे - बिना किसी अन्य भाषाके माध्यमके सिखायी जाती है। '[१]

हिन्दी ' सीधे ' सिखायी जाने का अर्थ है - ' अनुभूति और उसकी अभिव्यक्ति में, हिन्दी शब्दों या मुहावरों और उनके अर्थमें, सीधा या प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करना। '

---

१) प्रा.डॉ. ग.न. साठे, राष्ट्रभाषाका अध्यापन (महाराष्ट्र राष्ट्रसभा, पुणे), प.नं. ५०.

संभाषणात्मक प्रणाली के तत्व -

श्रवण - अध्यापक बालकोंके सामने बार-बार हिन्दी भाषामें बोलता है, और उन बालकोंसे हिन्दी शब्दों या वाक्योंको दोहरा लेते हैं।

मनमें अर्थ ग्रहण करना -

छोटा बालक मातृभाषा अपनाते समय जिसतरह ध्वनि और वस्तुमे संबंध स्थापित करता है। वैसेही हिन्दीके नए शब्दोंको सुनकर बालक अंतर्मनद्वारा अर्थ ग्रहण करता है।

अनुकरणद्वारा उच्चारण -

हिन्दी शब्द सुनने और उसके अर्थग्रहण करनेके बाद बालक शब्दका उच्चारण करता है।

भिन्न भिन्न संदर्भोंमें प्रयोग -

उसी शब्दको बारबार सुनने और दोहराने के बाद बालकोंको उसका भिन्न वाक्योंमें और विभिन्न संदर्भोंमें प्रयोग करनेका मौका दिया जाता है।

भाषा शक्तिका अधिकसे अधिक उपयोग करना -

भाषा प्रधानत: बोली जाती है। बालक अगर सफलतासे भाषाका व्यवहार बोलचालमें करनेके लिए समर्थ न हो जाए, तो उसकी शिक्षा-दीक्षा की पूर्तिमें यह त्रुटि ही मानी जाएगी। इसीलिए बालक को नयी भाषामें अधिकसे अधिक बोलनेका मौका दिया जाता है। बालकोंसे प्रश्न पूछना, प्रश्नोंके जवाब आवश्यकतानुसार दोहराना, इससे बालकोंकी जबान और कानोंपर अधिक संस्कार होता है।

पूर्ण वाक्योंका प्रयोग -

हिन्दी अध्यापक को इस बातपर विशेष ध्यान देना चाहिए कि सवाल और जवाब पूर्ण वाक्यमे हो।

अनुभूति और अभिव्यक्तिमें प्रत्यक्ष संबंध -

यह तत्व सम्भाषणात्मक प्रणालीका आत्मा है। जिस भाषामें हम सोचते हैं, उसी भाषामें हम उसकी अभिव्यक्ति करते हैं। अनुभूति और अभिव्यक्ति कोई दूसरी भाषा माध्यमके रूपमें नहीं आती।

नयी भाषाका वातावरण -

बालकके चारों ओर जिस भाषाका वातावरण होता है, उसको वह अपने आप अपनाता है, उसे भाषा सिखानी नही पडती, वह स्वयं सीखता है। स्वाभाविक प्रणालीमें बालकके चारों ओर नयी भाषाका वातावरण बना लेनेकी कोशिश की जाती है। वातावरण की निर्मितीपरही सम्भाषणात्मक प्रणालीकी सफलता निर्भर है। सवाल-जवाब, स्पष्टीकरण सभी हिन्दीमें किया जाता है।

यह प्रणाली मनोवैज्ञानिक है। क्योंकि इसे पढाते समय बालमनोविज्ञानके कई सिध्दांतोंका आश्रय लेना पडता है।

परंतु इस प्रणालीमें मौखिक पढाईको अधिक महत्व दिया है, और व्याकरणकी ओर दुर्लक्ष किया है। फिरभी आजकल इसी प्रणालीका बोलबाला दिखायी देता है।

४) डॉ. वेस्ट मेथड :

संभाषण प्रश्नोत्तर प्रणालीकी कमजोरियों का विचार करनेपर कुछ शिक्षातज्ञोंने इस प्रणालीका विरोध किया। इन विरोधकोंमें डॉ.मायकेल वेस्ट प्रमुख थे। उन्होंने एक अलग प्रणालीका आविष्कार किया, जो उन्हींके नामपर प्रसिध्द है।

इस प्रणाली में संभाषण प्रणाली के विपरित भाषाकी शिक्षाका आरंभ वाचनसे किया जाता है, क्योंकि इसके संबंधमें यह सिध्दांत स्वीकार किया गया है कि मनुष्य तभी अच्छी तरह बोल और लिख सकता है, जब उसने पर्याप्त मात्रामें शब्दावली को आत्मसात किया हो ।

इस प्रकार पर्याप्त शब्दसंग्रह जुटा लेनेके बाद फिर उस बुनियादपर भाषण, लेखन आदि भाषाके अन्य अंगोका परिचय प्राप्त करनेमें छात्रोंको कोई कठिनाई प्रतीत नहीं होगी ।

पाठयपुस्तकोंकी रचना -

इस पध्दति के अनुसार पुस्तकें तैयार करते समय यह ख्याल रखा गया है कि, रोजके व्यवहारमें बार-बार आनेवाले शब्द कौनसे हैं ? उन शब्दोंको ध्यानमें लेकर उनका अंतर्भाव पाठय पुस्तकमे किया जाता है । हर पाठमें जो नये-नये शब्द समाविष्ट किए जाते हैं, उनको मोटे टाईपमें छापा जाता है । हर पाठके एक-एक परिच्छेदमें ऐसे वाक्योंकी रचना की जाती है, जिससे नये शब्द उस परिच्छेदमें बार-बार दुहराये जाएँ ।

शब्दोंके अर्थ को स्पष्ट करनेके लिए चित्रोंको भी काममे लाया जाता है । कुछ पुस्तके ` पुरवणी वाचन ` के रूपमें भी निश्चित की जाती है । इस प्रकार कोशिश यह की जाती है कि जहाँतक हो सके, वाचनके प्रति छात्रों की रूचि बढ जाए ।

इस पध्दतिमें केवल वाचन की ओर अधिक ध्यान दिया गया है । सुउच्चारण और सुलेखन दोनों उपेक्षित रहते हैं । जो विषय वाचनके लिए वही रचनाके लिए, होता है, इसलिए उसमें नीरसता आती है । उसी प्रकार छात्रोंकी क्रीडा, स्पर्धात्मकता इसमें समाधान नहीं होता ।

५) <u>गठन विधि</u> - Structure Method

Structure का मतलब है, रचना या चौखट । ` चौखट ` में निश्चित स्थानोंपर शब्द रखनेसे वाक्य पूरा हो जाता है । छात्रों के सामने वाक्यका ढाँचा रखा जाता है, उसमें उन्हें आवश्यक शब्द प्रयुक्त करने पडते हैं । इन शब्दोंको Content Words कहा जाता है ।

इस पध्दतिद्वारा पढाते समय यह सावधानी रखी जानी चाहिए कि रचनाके सुलभ ढाँचेही छात्रों के उम्रके अनुसार दिये जाएँ ।

इस पध्दतिद्वारा पढानेसे विद्यार्थियों की मौखिक योग्यता बढती है । विद्यार्थी अधिक क्रियाशील रहते हैं । छात्रोंकी क्रीडाशीलता आत्मप्रकाशन प्रवृत्ति, स्पर्धा-वृत्ति आदिका समाधान होता है ।

उपर्युक्त जो प्रणालियाँ बतायी है, वे अंग्रेजी भाषाके लिए भी है । क्योंकि अंग्रेजी और हिन्दी मातृभाषासे अलग होनेके कारण इन दोनों भाषाओंकी शिक्षा-पध्दति एकही है ।

अब तक जिन प्रणालियोंका अभ्यास किया उनमें कुछ न कुछ दोष हैं ही । प्रश्न यह निर्माण होता है कि कौनसी प्रणाली अधिक उपयुक्त है ?

जिस प्रकार हंस पक्षी दूध और पानीके मिलावटको अलग करता है । दूध पी जाता है और पानी छोडता है । वैसेही हमें हर प्रणालीकी जो विशेषताएं, गुण हैं, उनका समन्वय कर पाठ पध्दतिको अपनाना चाहिए ।

२.९ <u>समारोप</u> :

प्रस्तुत प्रकरणमें राष्ट्रभाषा हिन्दीका महत्व, हिन्दी पढानेके उद्देश्य, हिन्दी अध्यापक, हिन्दी अध्यापन पध्दतियाँ आदिके बारेमे विचार हुआ है ।

हिन्दी अध्ययन अध्यापनके उद्देश्य साध्य करनेकी दृष्टिसे अध्यापन पध्दति कौनसी हो, इसकी जानकारी पाना आवश्यकही था। इस पार्श्वभूमीपर हिन्दीका अध्यापन करते समय विद्यार्थियोंके उच्चारण दोष कौनसे व है ? और उनके कारण कौनसे है ? इसकी चर्चा अगले प्रकरणमें की गयी है।

" भविष्य में हिन्दुस्तान की उन्नति
हिन्दी को अपनाने से ही हो सकती
है । "

- श्री. मदन मोहन मालवीय